राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक :प•6(4)राज-6/2000/14 जयपुर, दिनांक : 18•5•2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उपधारा (1) सपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तल की भूमियों का कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा ।

यह अधिसूचना दिनांक 30•6•2000 तक प्रभावी रहेगी ।

(बी•आर•पारीक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1• निजी सचिव, राजस्व मंत्री/राजस्व राज्य मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव ।
2• समस्त संभागीय आयुक्त , राजस्थान ।
3• समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4• निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5• निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 18•5•2000 में प्रकाशनार्थ ।
6• "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
7• निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8• उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9• रक्षित पत्रावली ।

(प्रकाश दवे)
सहायक विधि प्रारूपकार